

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

२०

समर्पण पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
 विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाये न
 कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
 सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्ण में पत्र
 व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रांतक एवं दिलोक
 अवश्य लिखा जाये जिससे सविधा हो।



ग्राम : चूलीवर्डी
 दूरभाष : (0751) 2341896
 (0751) 2442829
 फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
 जीवाजी विश्वविद्यालय
 ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2012/ 293

दिनांक: 10.10.13

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध ही.आई.पी.एस.कॉलेज ग्वालियर () को सत्र 2013-14 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.ए. तृतीय वर्ष-(आ.पा.,इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र) बी.एस.-सी तृतीय वर्ष -(आ.पा. औतिकी, गणित, रसायन), अति.विषय-(ग्रामिकी, वनस्पति, कम्प्यूटर साइंस), बी.कॉम तृतीय वर्ष-एलेज/अति.विषय(कम्प्यूटर एप्लीकेशन), बी.सी.ए. तृतीय वर्ष बी.बी.ए.तृतीय वर्ष, बी.एस.-सी द्वितीय वर्ष अति.विषय-(आइकलॉजी, बायोटेक) पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. जे.एन.गौतम कुलाधिसचिव, जी.वि.वि. ग्वालियर।

(संयोजक) (9425364178)

(2) प्रो. प्रमिला जैन, आचार्य शा.के.आर.जी. कॉलेज ग्वालियर।

(3) प्रो. आर.जे.रा. आचार्य प्राणिकी अध्ययन शाला जी.वि.वि. ग्वालियर।

~~9039028559~~

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धगेहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/अडिनेंस तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें।

स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26 सितम्बर 2012 के पद क्रमांक 60 (अ-अ-2) पर लिये गये विर्णवानुसार निरीक्षण समिति द्वारा 30 दिन में महाविद्यालय का निरीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे। जिससे कि सम्पूर्ण कार्यवाही (महाविद्यालय निरीक्षण की) 45 दिवस में पूर्ण हो सकेंगी एवं महाविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सम्बद्धता में विनम्र नहीं होगा एवं यथा समय सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो सकेंगी तथा शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

ग्रन्थ के 45 दिवस में Report प्राप्त न होने की दियति में यह माना जाएगा कि महाविद्यालय का निरीक्षण नहीं हुआ है। नियमानुसार अवैदेष जमा कराकर नवीन समिति गतित की जावेगी। जिसे 15 दिवस में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अवैधार्य होगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए विवादों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुविषय से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. टी.ए. / मानवयोगी महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के लिये सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)